CNR NO .–CGJC010018162026
थाना–अकलतरा, अपराध क्रमांक–209/2023
जमानत आवेदन क्रमांक–848/2026

न्यायालय–जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश FTC जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.) द्वारा जमानत आवेदन क्रमांक 848/2026 में पारित आदेश दिनांक–18/08/2026 की प्रमाणित प्रतिलिपि:–

शंकर लाल भारद्वाज उम्र–66 वर्ष, पिता गोटी लाल भारद्वाज, निवासी ग्राम कोसीर, थाना–पामगढ़,
जिला–जांजगीर–चांपा(छ०ग०)

... . आवेदक/अभियुक्त

– विरूद्ध–

छ.ग. राज्य,
द्वारा–आरक्षी केन्द्र अकलतरा,
जिला–जांजगीर चांपा (छ.ग.)

.....अनावेदक/अभियोजन

19/08/2026 आवेदक/अभियुक्त की ओर से श्री संतोष गुप्ता चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल उपस्थित।

राज्य की ओर से योगेश गोपाल अतिरिक्त लोक अभियोजक।

प्रकरण मूल अभिलेख एवं जमानत आवेदन पर तर्क हेतु नियत है।

CNR NO .–CGJC010018162026
थाना–अकलतरा, अपराध क्रमांक–209/2023
जमानत आवेदन क्रमांक–848/2026

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अकलतरा का दांडिक प्रकरण 574/2026 अंर्तगतधारा 420, 467, 468, 471, 201, 120 बी 34, भादवि० से संबंधित मूल अभिलेख प्राप्त।

प्रकरण में उभय पक्ष का तर्क श्रवण किये गये।

इस आदेश के माध्यम से आवेदक श्री शंकर लाल भारद्वाज की ओर से प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस. 2023 का निराकरण किया जा रहा है।

उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्क के परिपेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया गया।

जमानत प्रपत्र के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस.2023 पेश किया है तथा आवेदक/अभियुक्त की ओर से श्रीमती सविता मनहरे ने आवेदन पत्र के समर्थन में शपथ पत्र पेश कर शपथ पत्र में यह घोषणा की है कि आवेदक/अभियुक्त का धारा 483 बी.एन.एस.एस. का यह प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र है, वर्तमान जमानत आवेदन पत्र के अलावा अन्य कोई जमानत आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय में या किसी अन्य सक्षम न्यायालय में पेश नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ है।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन संक्षेप में इस प्रकर है कि थाना अकलतरा के पुलिस द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध क्रमांक–209/2023 के तहत अपराध दर्ज कर प्रकरण में विवेचना के दौरान आवेदक/आरोपी एवं अन्य चार को गिरफ्तार कर न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अकलतरा के समक्ष पेश किया गया था । जहां आरोपी/आवेदक सहित अन्य चार आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल जांजगीर भेजा गया है तब से आरोपी/आवेदक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। प्रकरण में विवेचना पूर्ण होकर पुलिस के द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अकलतरा में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध का दर्ज नही है और न ही कोई अन्य अपराधिक रिकार्ड है और प्रकरण के अन्य आरोपियों का जमानत माननीय छ०ग०उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा आरोपी विश्राम भारद्वाज का MCRC No–3487/2026 आदेश दिनांक–16/6/2026 को, आरोपी परमेश्वर पाटले का MCRC No–3519/2026 आदेश दिनांक–16/6/2026 को, आरोपी नरेश रत्नाकर का MCRC No–4300/2026 आदेश दिनांक–16/6/2026 को, तथा आरोपी दीपक दीवाकर का MCRC No–6240/2026 आदेश दिनांक–14/7/2026 को स्वीकार

किया गया है। आवेदक/आरोपी ही इस प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में होकर जेल में बंद है और अन्य आरोपियों से इस आरोपी/आवेदक का प्रकरण भिन्न नहीं है। आवेदक/आरोपी के अतिरिक्त शेष आरोपियों के जमानत आवेदन इस न्यायालय के द्वारा निरस्त किया जा चुका है। आरोपी/आवेदक 66 वर्ष का वरिष्ठ नागरिक है उसका अन्य अपराधियो के साथ और अधिक दिनों से जेल में रहने में जीवन खराब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। आरोपी/आवेदक द्वारा कोई अपराध कारित नही किया गया है। आवेदक निर्दोष है तथा अन्य आरोपियों को प्राप्त जमानत की समानता के आधार पर आवेदक माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जमानत पर रिहा होना चाहता है तथा आदेशित आचरण बनाए रखने का वचन देता है। आवेदक ग्राम कोसीर थाना पामगढ़ जिला–जांजगीर–चांपा का निवासी है तथा जिसका कहीं भागने या फरार होने की संभावना नही है तथा आवेदक सक्षम जमानत पर रिहा होना चाहता है तथा न्यायालय के समस्त शर्तो को पालन करने को तैयार है।

आवेदक की ओर से तर्क रहा कि प्रकरण में आवेदक के विरुद्ध जो भी अपराध दर्ज है सभी अपराध इस स्तर के नही है कि मामले में आवेदक का विचारण अभिरक्षा में रखकर किया जावे। वर्तमान अपराध में आवेदक की

संलिप्तता होने के आधार पर जमानत आवेदन निरस्त करने के बजाय स्वीकार किया जाना विधि संगत होगा। आवेदक निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। अतः आवेदक/आरोपी अन्य सह अभियुक्त को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा जमानत प्रदान करने के समानता के आधार पर जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक ने अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुये जमानत आवेदन पत्र को निरस्त करने का निवेदन किया गया।

मूल दांडिक प्रकरण के अनुसार प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर थाना अकलतरा के अपराध क्र. 209/2023 अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी, 201, 34 भादवि० के लिये आवेदक/अभियुक्त को दिनांक 05.01.2023 को गिरफ्तार किया गया है तथा दिनांक 06.01.2026 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रकरण के अवलोकन से यह भी दर्शित है कि दिनांक 08.04.2023 को प्रार्थी योगेन्द्र सिंह चंदेल ने थाना अकलतरा में इस आशय से रिपोर्ट दर्ज कराई है कि प्रार्थी योगेन्द्र सिंह चंदेल ग्राम तरौद में रहता है तथा किसानी का काम करता है एवं प्रार्थीगण की तरौद स्थित भूमि जो कि के०एस०के वर्धा प्लांट में अधिग्रहित है तथा मुआवजा राशि के लिये माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में मामला विचाराधीन है उसी

भूमि के अधिग्रहण से प्राप्त राशि को कोई अज्ञात व्यक्ति उसके बडे भाई योगेन्द्र सिंह एवं स्व० गिरधर सिंह के नाम से फर्जी आधार कार्ड व डीसीबी बैक शाखा खोखसा जांजगीर से बिना उनका खाता खोले चेकबुक जारी कर अधिग्रहित राशि में से कुछ राशि आहरित कर लेने की जानकारी चेकबुक के पोस्ट के माध्यम से घर तरौद आने से जानकारी मिलने पर उसके द्वारा जांच पतासाजी में उसके दोनों भाईयों के नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार कर अज्ञात फर्जी व्यक्ति द्वारा रकम आहरण करना पाया गया। प्रकरण में अभियोग पत्र प्रस्तुत हो चुका है। अभियोग पत्र के अनुसार वर्तमान आवेदक के आलावा अन्य सह अभियुक्त दीपक दिवाकर, नरेश रत्नाकर, शंकर भारद्वाज, परमेश्वर पाटले एवं विश्राम भारद्वाज के द्वारा अपराधिक षड्यंत्र के अग्रशरण में प्रार्थी योगेन्द्र सिंह चंदेल के खाते में जमा राशि 24,00,000/–रुपये में से 7,00,000/– रुपये अवैध तरीके से पासबुक, चेकबुक एवं आधार कार्ड प्रार्थीगण के नाम से तैयार कर आहरित किये गये है। प्रकरण में आवेदक नरेश रत्नाकर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ निर्मित सामान्य आशय के अग्रशरण में प्रकरण का सह आरोपी नरेश कुमार रत्नाकर स्वतः प्रार्थी योगेन्द्र सिंह बना था तथा आवेदक/आरोपी दीपक दिवाकर स्वयं गिरधर सिंह बनकर कुटरचित चेक में हस्ताक्षर कर राशि आहरित किया। प्रकरण

में संकलित तथ्य से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की राशि उनके उपयोगी कृषि योग्य भूमि की एवज में जमा मुआवजा राशि डीसीबी बैंक शाखा खोखसा जिला जांजगीर चांपा में जमा था, जिसकी खाता संख्या 25011100004732 थी। उक्त खाते के साथ भी आरोपीगण के द्वारा कुटरचित आधार कार्ड तैयार कर छेडखानी किये है।

प्रकरण के सह अभियुक्त दीपक दिवाकर से पूछताछ कर उसका मेमोरेण्डम कथन पुलिस द्वारा दर्ज किया गया, जिसमे उसने बताया है कि वर्ष 2021 मे उसके ससुर शंकर भारद्वाज ने उसे बताया कि उसके दोस्त परमेश्वर पाटले एवं विश्राम भारद्वाज लोग आधार कार्ड में नाम बदलने के एवज में कुछ पैसा देंगे बोल रहे हैं। तब वह अपने ससुर शंकर भारद्वाज के पास उसके गांव कोसिर गया जहां पर आरोपी परमेश्वर पाटले एवं विश्राम भारद्वाज भी थे। आरोपी नरेश और वह आधार कार्ड में नाम बदलवाने को तैयार हो गये। आरोपी परमेश्वर पाटले एवं विश्राम भारद्वाज ने दिपक दिवाकर से कुछ कागजात पर हस्ताक्षर करवाये और च्वाईस सेंटर में जाकर दिपक दिवाकर का नाम पता बदलवा दिये। दीपक दिवाकर स्वयं को गिरधर सिंह बताकर तथा आरोपी नरेश रत्नाकर स्वयं को योगेन्द्र सिंह बताकर बैंक के अंदर जाकर चेक की राशि का आहरण किये हैं। विवेचना के दौरान आरोपी दीपक दिवाकर से एक रेडमी मोबाईल और

उसके आधार कार्ड की सत्यापित प्रति जप्त की गयी है। प्रकरण में संकलित दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य से अन्य अभियुक्तगण के साथ अपराध में आवेदक की संलिप्तता दर्शित होती है।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया अपराधिक षड्यंत्र के अग्रशरण में दिपक दिवाकर ने अपने आधार कार्ड में परिवर्तन कर प्रार्थी योगेन्द्र सिंह चंदेल लिखाकर आधार कार्ड एवं फर्जी चेकबुक जारी कराकर चेक के माध्यम से राशि 700,000/–रुपये आहरित किये है और बाद मे अभियुक्त दिपक दिवाकर ने अपने आधार कार्ड को सुधरवाकर पुनः अपने नाम करा लिया है। इस प्रकार दीपक दिवाकर एवं परमेश्वर पाटले, विश्राम भारद्वाज का अपराध गंभीर प्रकृति का है। मामले में आवेदक शंकर भारद्वाज की स्थिति पर विचार किया जावे तो आवेदक के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर आवेदक से कोई अपराध की विषय वस्तु जप्त नही हुई है। प्रकरण में प्रस्तुत अभियोग पत्र के अनुसार आवेदक के विरुद्ध आरोप है कि उसके द्वारा अपने दामाद दिपक दिवाकर की मुलाकात अपने भतीजे छोटू ऊर्फ विश्राम से करवाया था। प्रकरण में आवेदक शंकर भारद्वाज के द्वारा एस डी एम कार्यालय जांजगीर में तैयार किये गये दस्तावेजों पर दिपक दिवाकर को योगेन्द्र सिंह, नरेश को गिरधर सिंह बताकर हस्ताक्षर किया है ।

प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया आवेदक के विरुद्ध गंभीर दस्तावेजी कुट रचना का साक्ष्य मौजूद है कुट रचित दस्तावेज से बैंक से राशि आहरित करने का साक्ष्य प्रकरण में मौजूद है।

यद्यपि प्रकरण के सह आरोपी परमेश्वर पाटले, विश्राम भारद्वाज एवं नरेश रत्नाकर को माननीय उच्च न्यायलय द्वारा जमानत का लाभ दिया जाना उल्लेखित किया गया है, लेकिन इस न्यायालय द्वारा किसी भी आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार वर्तमान आवेदक शंकर भारद्वाज की संलिप्तता अपराध मे अत्यधिक होना पायी जाती है। घटना के संबंध में षंड्य़त्र स्थल इस आवेदक घर था । अपराधिक षड्यंत्र के अग्रसरण में आरोपी दिपक दिवाकर एवं नरेश पाटले की पहचान एस डी एम कोर्ट जांजगीर में इस आवेदक ने प्रार्थी योगेन्द्र सिंह एवं गिरधर सिंह के नाम से करके कूटरचित दस्तावेज एवं दस्तावेज के आधार पर चेक तैयार करने का एवं प्रार्थी व बैंक के साथ इस बेईमानी पूर्ण आशय से अपराध करित करने का मुख्य आरोप अभियोग पत्र के अनुसार इस आवेदक का भी है।

अतः अपराध की गंभीरता को देखते हुये आवेदक/आरोपी शंकर भारद्वाज को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक की

ओर से प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत आवेदन संबंधित अपराध क्रमांक 209/2026 को विचार उपरांत **निरस्त** किया जाता है।

प्रकरण समाप्त।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार भेजा जाये।

सही/–
मुकेश कुमार तिवारी
अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.सी.
जांजगीर जिला जांजगीर –चांपा छ.ग.

MUKESH KUMAR TIWARI

Digitally signed by MUKESH KUMAR TIWARI